आलयम

आवासीय योजना

(अल्प आय वर्ग)

सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड़, देहरादून

मूल्य **200/-** जी.एस.टी. सहित

L.I.G. UNIT PLAN

L.I.G. UNIT AREA

CARPET AREA	=	306.67 Sq.Ft.
UNIT AREA	=	409.25 Sq.Ft.
SUPER AREA	=	711.60 Sq.Ft.

6M WIDE ROAD
6M WIDE ROAD
6M WIDE ROAD
3M WIDE ROAD
PARKING
PARKING
PARKING
PARKING
PARKING
PARK
LA
LB
LC
LD
LE
002-302
003-303
001-301
004-304

आलयम, आमवाला तरला (अल्प आय वर्ग)

आवासीय योजना, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

1.00 **योजना का नाम** : इस पंजीकरण प्रपत्र (बोशर) के अन्तर्गत आलयम आवसीय योजना, देहरादून में एल.आई.जी. फ्लैट के लिए पहले आओं पहले पाओं के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

2.00 **योजना का कोड** : योजना कोड 127 है।

3.00 योजना का विवरण :-

3.01 **देहरादून** – सहस्त्रधारा रोड, आमवाला तरला देहरादून पर स्थित है।

3.02 **फ्लैट का आकार** : अनुमानित क्षेत्रफल का विवरण तालिका 1 के कॉलम 7 में फ्लैट में उपलब्धता का विवरण तालिका 1 के कॉलम 10 में दर्शायी गयी है।

3.03 **फ्लैट का मूल्य** : फ्लैट का मूल्य तालिका 1 कॉलम 4 में दर्शया गया है। (रू० – 22.90 लाख)

3.04 **भुगतान योजना** : तालिका 1 के अनुसार

3.05 **पंजीकरण राशि** : तालिका 1 के कालम 5 में वर्णित पंजीकरण राशि रू 2.30 लाख का भुगतान आवेदन पत्र के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ट्राँसपोर्ट नगर देहरादून की शाखा के खाता संख्या 39980100002987 में नगद/ प्राधिकरण में पी.ओ.एस/ आर.टी.जी.एस/ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से द्वारा जमा करना होगा (ड्राफ्ट सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा।

3.06 **शेष राशि का भुगतान** : जिसका विवरण तालिका 1 के कालम 9 में है।

3.07 **एक मुश्त भुगतान** : अल्प आय वर्ग श्रेणी एवं आवंटियों को फ्लैट के भौतिक कब्जे से पूर्व समस्त धनराशि का भुगतान करना होगा। जिसका विवरण तालिका 1 के कॉलम 9 में दर्शाया गया है। विस्तृत विवरण आवंटन पत्र में दिया जाएगा।

3.08 पूर्ण भुगतान हेतु देय तिथि के बाद 1 माह की अनुग्रह अवधि देय होगी। यदि अनुग्रह अवधि के बाद भुगतान किया जाता है तिथि से 18 प्रतिशत दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा।।

3.09 ब्याज की गणना रूपये के निकटतम पूर्णाक में होगी।

3.10 दण्ड ब्याज अधिकतम छह महीने की अवधि हेतु देय होगा।

3.11 यदि देय तिथि के बाद छह महीने के भीतर दण्ड ब्याज सहित कोई भुगतान नही किया जाता है, तो आवंटी को बिना सूचना दिये आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। निरस्तीकरण से पहले कोई कारण बताओं नोटिस भी जारी नहीं किया जायेगा।

4.00 (क) पात्रता :-

4.01 आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

4.02 आवेदक वयस्क होना चाहिए।

(ख) आय सम्बन्धित पात्रता

आवेदक को भवन आवंटन के विषय में निम्नलिखित आय–विषयक प्रतिबन्ध है:-

(ख) आय सम्बन्धित पात्रता

4.03 अल्प आय वर्ग के लिए आय सीमा 10 लाख रूपये तक वार्षिक अधिकतम होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा आवदेन रूप से प्रमाण रूवरूप सैलरी स्लिप/आई.टी.आर. अथवा राजस्व विभाग से जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

4.04 टिप्पणी :– फ्लैट के आवेदन से पूर्व योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता किसी भी कार्य दिवस में मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड़, देहरादून स्थित कार्यालय एवं आई.एस.बी.टी कैम्प कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है

4.05 आवेदन कैसे करें :– आवेदन पत्र निम्नलिखित प्राधिकरण की वेबसाईट www.mddaonline.in या आई.एस.बी.टी कैम्प कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

आवेदक को भवन आवंटन के विषय में निम्नलिखित आय–विषयक प्रतिबन्ध है:–

4.04 टिप्पणी :– फ्लैट के आवदेन से पूर्व योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता किसी भी कार्य दिवस में अधिकृत बैंक अथवा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

5:01 पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं धनराशि वापसी :

5.01 यदि कोई आवेदक अपनी पंजीकरण धनराशि जमा कराने के उपरान्त आंवटन से पूर्व ही पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो बिना कटौती और बिना ब्याज धनराशि रिफन्ड हेतु आवेदन प्राप्त होने एवं औपचारिकताऐं पूर्ण करने पर वापस कर दी जायेगी।

5.02 यदि किसी आवेदन के फ्लैट का आंवटन किया जाता है और वह उसका समर्पण करना है अथवा भुगतान की देय तिथि से पहले या योजना की शर्तो के उल्लंघन के आधार पर म०दे०वि०प्रा० द्वारा निरस्त किया जाते पंजीकरण राधि का 10 प्रतिशत काटकर शेष पंजीकरण राशि वापस कर दी जायेगी। ऐसे मामलों में ब्याज देय नही होगा।

5.03 यदि आंवटी फ्लैट के पूर्ण भुगतान के बाद कब्जे से पूर्व समर्पण करता, अथवा योजना की शर्तो के उल्लंघन के कारण निरस्तीकरण स्थिति में म०दे०वि०प्रा द्वारा निर्धारित तिथि को आवंटी पर देय राशियों को दण्ड ब्याज सहित (यदि कोई किया तो पंजीकरण राशि में से 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

5.04 अनुच्छेद 5.00 में वर्णित कटौतियां करने के बाद आवंटी द्वारा जमा की गई कुल राशि उसे वापस कर दी जायेगी तथा देय नही होगा।

5.05 आंवटी यदि कब्जे के उपरान्त फ्लैट का समर्पण करना चाहता है अथवा योजना की शर्तो के उल्लंघन के कारण म०दे०वि०प्रा द्वारा निरस्तीकरण किया जाता है ।तो आंवटी की जमा धनराशि से कटौती उपरान्त अवशेष राशि आवंटी राशि आवंटी को वापिस कर दी जायेगी जिस पर कोइ ब्याज देय नही होगा

6:00 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों को छुपाना :– कब्जा लेने के पूव अथवा पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा .... अथवा उसमें किसी वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया है तो पंजीकरण के साथ – साथ सम्पत्ति का आवंटन आवेदक को कारण कर निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा तथा प्रस्तर 5:00 के अनुसार कटौती की जायेगी।

6.01 अपूर्ण, बिना हस्ताक्षरित एवं गलत आवेदन फार्म आवेदक को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

7:00 फ्री होल्ड :

7:01 फ्लैट के उपरात्त नियमानुसार दो माह अन्तर्गत फ्री होल्ड डीड नियमानुसार सब – रजिस्ट्रार देहरादून के करानी होगी, जिस पर देय स्टाम्प शुल्क आदि विधिक देयकों का भुगतान आवंटी को स्वयं करना होगा।

7:02 आवंटी आवंटित सम्पत्ति को फ्री – होल्ड रजिस्ट्री से पूर्व विक्रय नही कर सकता, आवंटी मृत्यु की स्थिति में मृतक के परिवार के सदस्यों को आंवटित सम्पत्ति का हस्तानान्तरण समय–समय पर प्राधिकरण/शासन/विधि के नियमानुसार किया जा सकता है।

7.03 आंवटी द्वारा फ्री – होल्ड रजिस्ट्री से पहले लीजरेन्ट फ्री – होल्ड चार्ज एवं सर्विस चार्ज प्राधिकरण कोष में जमा कराने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा फ्री – होल्ड की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

8:00 **कब्जा :**

8.01 फ्लैटों का भौतिक कब्जा पूर्ण उपरात्त जमा कराने के उपरान्त दिया जाना प्रस्तावित है। कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त फ्लैट की एक मुश्त योजना का दायित्व स्वयं का होगा तथा योजना के अन्तर्गत वाह्य अनुरक्षण हेतु आवंटियों को अपनी पंजीकृत वैलफेयर सोसाइटी होगा।

8:02 यदि आवंटी निर्धारित कब्जे की तिथि तक फ्लैट का भौतिक कब्जा नही लेता है तो फ्लैट में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नही होगा एवं इस स्थिति में चौकीदारी शुल्क प्रतिमाह रू 100/– लिया जायेगा।

9:00 **दुरूपयोग/परिवर्धन/परिवर्तन/निर्माण :** आवंटित फ्लैट का प्रयोग आवासीय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। आवंटी को आवंटित फ्लैट को विभाजित करने बाह्य परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा या उसे किसी अन्य सम्पत्ति के साथ मिलाने हेतु प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान नही की जायेगी। उल्लंघन की दशा मे प्राधिकरण के द्वारा भवन उपविधियों/नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

10:00 **सम्पत्ति को बन्धक रखने का प्रावधान :** आंवटी को आवंटित सम्पत्ति को प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त करते हुए ऋण प्राप्त करने के लिए बन्धक रखने का अधिकार होगा। जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी किया जायेगा। फ्री होल्ड रजिस्ट्री से पूर्व प्रथम प्रभार प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।

11:00 **अन्य महत्वर्पूण सूचनाऐं :**

11:01 निर्मित किये जाने वाले फ्लैट जैसे हैं जहां है के आधार पर बेचे जायेगें तथा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति विचारणीय नही होगी।

11.02 आवंटन तक इस योजना में किसी शर्त में संशोधन का अधिकार मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण का होगा। ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगें।

11:03 किसी भी प्रकार वाद–विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्रफल केवल देहरादून का होगा।

11:04 इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

11:05 आवंटी द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न अन्य निकायों से सम्बन्धित देय कब्जे से पूर्व एवं कब्जा उपरान्त निर्धारित प्राविधानों के अनुसार देय सभी करों का भुगतान स्वयं करना होगा।

11.06 प्राधिकरण की इस योजना का रेरा पंजीकरण संख्या UKREP09170000036 है।

12.00 फ्लैट के सबसे ऊपरी तल के छत का अधिकार प्राधिकरण में निहित होगा, तथा भूतल के अग्र एवं पृष्ठ भाग पर किसी भी प्रकार अनुमन्य नही होगा।

13:00 आवंटित फ्लैट में विद्युत, जल एवं सीवर का संयोजन आवंटी को स्वयं कराना होगा।

14:00 आवंटियों फ्लैट वैलफेयर सोसाईटी में सिक्योरिटी हेतु रू० 20,000/– एक मुश्त कब्जें से पूर्व तथा रू० 400/– प्रतिमाह मैन्टेनैन्स लेने के माह से वेलफेयर सोसाईटी के खाते में जमा कराना होगा।

15.00 उपरोक्त शर्तो में समय – समय पर विकास प्राधिकरण / उत्तराखण्ड शासन द्वारा जो भी संशोधित/परिवर्धित, परिवर्धित, परिवर्तन नियम लागू होगों को मान्य होगें।

मोहन सिंह बर्निया
(पी०सी०एस०)
सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

बंशीधर तिवारी
(आई०ए०एस०)
उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

LIG

LA	3RD FLOOR	LA-301	LA-302	LA-303	LA-304
	2RD FLOOR	LA-201	LA-202	LA-203	LA-204
	1ST FLOOR	LA-101	LA-102	LA-103	LA-104
	GROUND FLOOR	LA-001	LA-002	LA-003	LA-004
LB	3RD FLOOR	LB-301	LB-302	LB-303	LB-304
	2RD FLOOR	LB-201	LB-202	LB-203	LB-204
	1ST FLOOR	LB-101	LB-102	LB-103	LB-104
	GROUND FLOOR	LB-001	LB-002	LB-003	LB-004
LC	3RD FLOOR	LC-301	LC-302	LC-303	LC-304
	2RD FLOOR	LC-201	LC-202	LC-203	LC-204
	1ST FLOOR	LC-101	LC-102	LC-103	LC-104
	GROUND FLOOR	LC-001	LC-002	LC-003	LC-004
LD	3RD FLOOR	LD-301	LD-302	LD-303	LD-304
	2RD FLOOR	LD-201	LD-202	LD-203	LD-204
	1ST FLOOR	LD-101	LD-102	LD-103	LD-104
	GROUND FLOOR	LD-001	LD-002	LD-003	LD-004
LE	3RD FLOOR	LE-301	LE-302	LE-303	LE-304
	2RD FLOOR	LE-201	LE-202	LE-203	LE-204
	1ST FLOOR	LE-101	LE-102	LE-103	LE-104
	GROUND FLOOR	LE-001	LE-002	LE-003	LE-004

L.I.G. UNIT

AALAYAM FLOOR PLAN

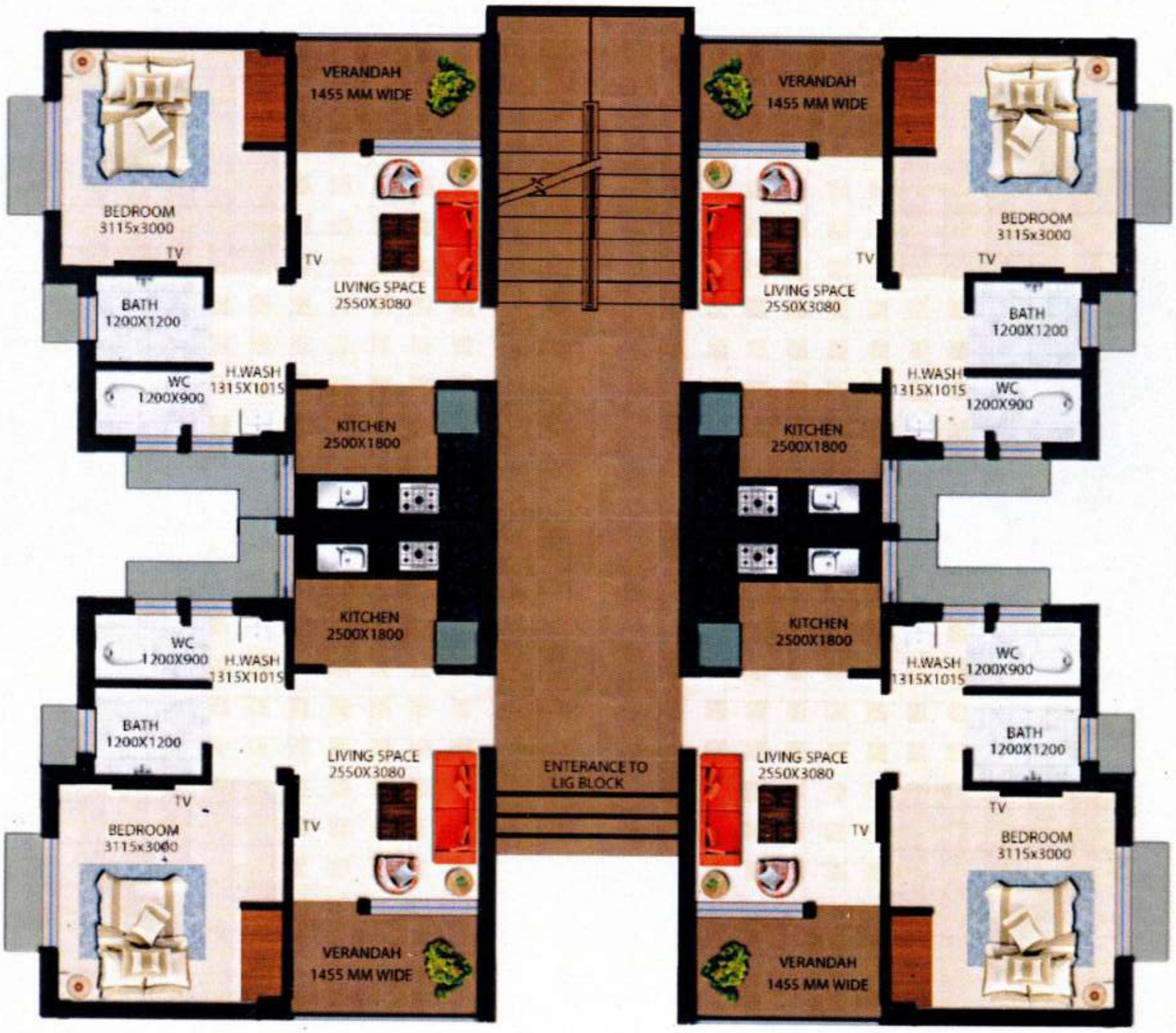

आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन

1. आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वयं अथवा नियमानुसार निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पंजीकृत विशेष अर्टनी अधिकार (Power of attorney) के द्वारा विधिवत प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में कोड आदि 3, 4, 5, 6 भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तराष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नं0 को ही लेखें में लिया जायेगा।
3. इस आवेदन पत्रों को एक कम्पयूटर प्रणाली द्वारा प्रौसेस किया जाना प्रस्तावित है। अत: इन फार्मो को केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि इन पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा के किये जा सकते हैं।
4. विभिन्न मदों के कोड नं0 स्कीम ब्रोशर में दिये गये है।
5. अधूरे/अवैध/अपठनीय एवं सशर्त पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध मे कोई भी पत्र व्यवहार नही किया जायेगा।
6. एक खाने में केवल एक वर्ण (अक्षर अथवा अंक) ही भरें।
7. नाम/पते के लिए प्रत्येक दों शब्दों के बीच मे खाना खाली छोड़े।
8. आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवंटी को फार्म संख्या, योजना कोड, एवं सम्पत्ति श्रेणी अवश्य लिखनी चाहिए।
9. डाक पते में हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।

10.00 **आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-**

10.10 मद -1 : **योजना का नाम** : फार्म के कमांक 1 मे स्वत: स्पष्ट है।

10.11 मद - 2 : **सम्पत्ति की श्रेणी** : फार्म के कमांक 2 मे स्वत: स्पष्ट है।

10.12 मद - 3 व 4 : **नाम व पत्राचार का पता** : ये स्वयं सुस्पष्ट है एवं आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

10.13 मद - 6 : वर्ष 2017- 08 की कुल आय।

10.14 मद - 7 : **आयु:** इस कॉलम में आयु वर्षो में लिखे गये उदाहरणार्थ -32 वर्ष। किसी एक वर्ष का कोई अंश न लिखें।

10.15 मद - 8 : **लिंग** इस कॉलम मे नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हों भरे।

पुरूष के लिये : M महिला के लिये : S अन्य के लिये : Z

10.16 मद -9 : **वैवाहिक स्थिति** : इस कॉलम में दिये गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो भरे।

पुरूष के लिए : 1 अविवाहित के लिए : 2 विधवा/विदुर के लिए : 3 तलाकशुदा के लिए : 4

10.17 मद - 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 व 18 स्वत: सुस्पष्ट है। नमूना हस्ताक्षर में सूचना मुख्य आवेदन पत्र से पुनरावृत्ति की जाये।

10.18 मद - 17 : सलग्नकों का विवरण भरें।

योजना के अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पते के अतिरिक्त और किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नही किया जा सकता है।

तालिका - 1

आलयम, आमवाला तरला (अल्प आय वर्ग)

आवासीय योजना, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
फ्लैट का विवरण

क्र0सं0	योजना का नाम व कोड	फ्लैट की श्रेणी (4 मंजिल)	अनुमानित कीमत (रू0)	पंजीकरण धनराशि (रू0)	आरक्षण धनराशि	फ्लैट का अनुमानित कवर्ड एरिया (वर्गमीटर/वर्गफीट)	फ्लैट की संख्या	शेष भुगतान सारणी (एक मुश्त)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आलयम आवसीय योजना	L.I.G (अल्प आय वर्ग)	22.90 लाख	2.30 लाख	–	**Carpet Area - 306.67 Sq.ft** **Built up Area - 409.25 Sq.ft** **Super Area - 711.60 Sq.ft**	80	20,60,000/–

आवश्यक नोट :

(क) **तालिका 1 भुगतान पद्धति के अन्तर्गत** : अल्प आय वर्ग श्रेणी के सफल आवेदकों की आवंटन उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए शेष धनराशि एवं अन्य विविध देय व करों का भुगतान फ्लैट के भौतिक कब्जे से पूर्ण करना होगा।

(ख) योजना 4 मंजिला एम0आई0जी0 फ्लैट हेतु पंजीकरण आमंत्रित किये जा रहे हैं जिसमें 80 यूनिट निर्मित हैं।

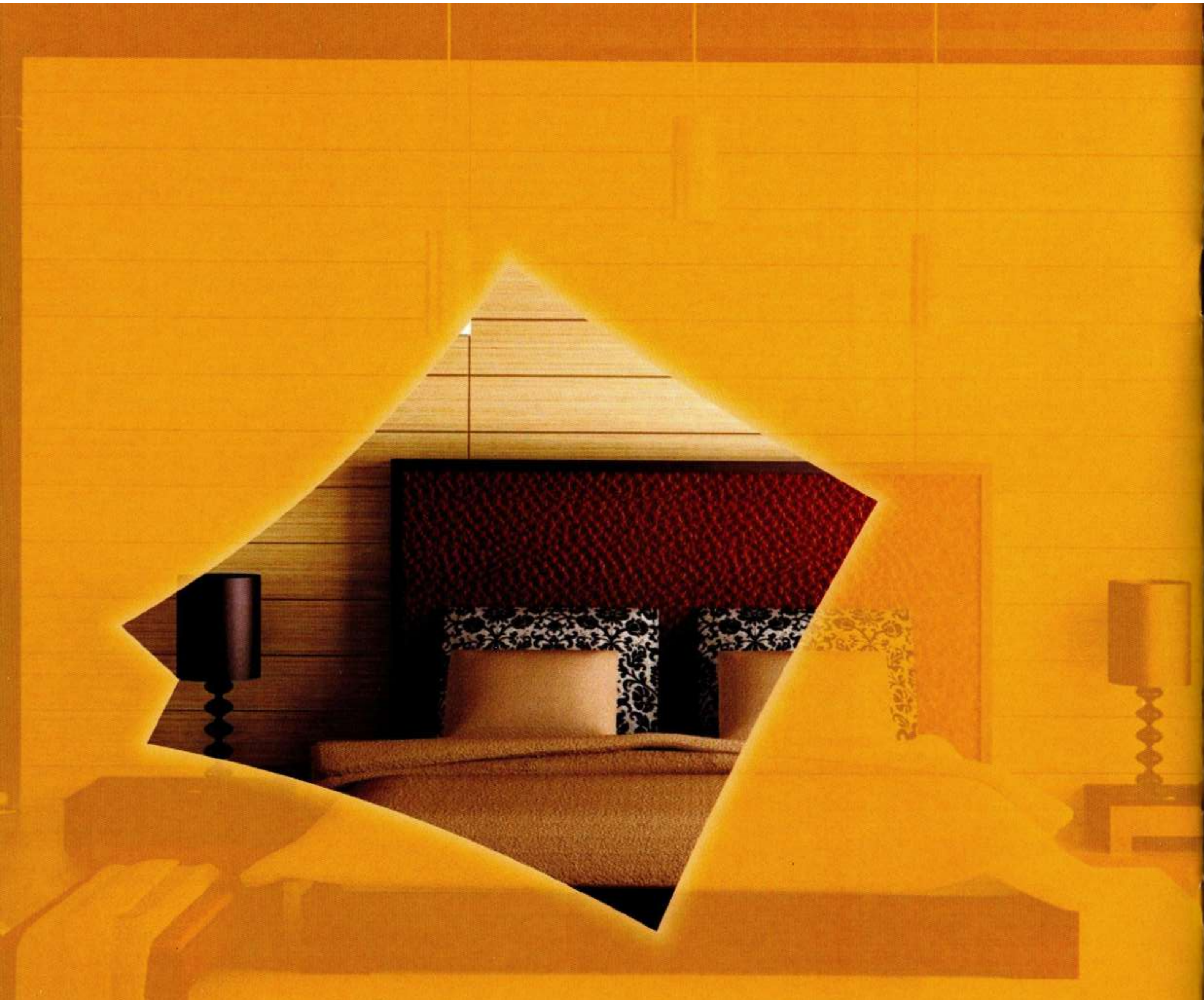

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

ट्रासंपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड़, देहरादून
ई–मेल : info@mddaonline.in   वेबसाई : mddaonline.in